राज्याभिषेक समारोह (Coronation ceremony)

राज्याभिषेक- संस्कार प्राचीन काल से ही प्रचलित था। और इसका वैधानिक महत्व है। राज्याभिषेक को वैदिक काल में राजसूय कहते थे। इसका वर्णन ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी पाया जाता है। किन्तु यह प्रथा वैदिक भी-अनेक सदियों तक प्रचलित थी। प्रारम्भिक धार्मिक-धार्मिक विधि, राज्याभिषेक व उत्तरकालीन समारोह ऐसे राजसूय के तीन भाग थे। प्रारम्भिक धार्मिक विधि में रत्निहवि का मुख्य रूप से उल्लेख आवश्यक है। रत्नि राजा के सलाहकार होते थे। ग्रन्थों में लिखा है कि रत्नि-हवि के लिए राजा को रत्नियों के घर जाना आवश्यक था। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजा अपने अधिकारी व सलाहकारों के साथ-प्रेम और विश्वास का संबंध प्रतिस्थापित करना-आवश्यक समझता था। उसकी सम्मति 'राजगद्दी' पर बैठने के लिए आवश्यकता थी।

राज्याभिषेक- दूसरे दिन किया जाता था। राजा का अभ्यंजन किया जाता था और उसे व्याघ्रचर्माच्छादित सिंहासन पर बैठाकर पवित्र नदियों के-जल से अभिषेक करते थे। उस समय जिन मंत्रों का-उच्चारण किया जाता था उनमें भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती थी कि वह राजा को तेजःपुंज एवं शक्तिशाली बनाये, इन्द्र से प्रार्थना की जाती थी कि वह राजा को वह साहसिक बनाये और बृहस्पति, मित्र एवं वरुण से विनती की कि वे राजा को वाग्मी, सत्यप्रेमी एवं धर्मरक्षक बनायें।

उत्तरकाल में राज्याभिषेक में क्षत्रिय एवं वैश्य भी भाग लेने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य वर्ण नागरिकों में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। इन तीनों के राज्याभिषेक-विधि-में लेकर यह व्यक्त किया जाता था कि राजा के अभिषेक के लिए सर्व-द्विजातियाँ सहमत हैं। महाभारत में एक कदम आगे बढ़कर शूद्र को भी अभिषेक-विधि में स्थान दिया गया है।

राज्याभिषेक में राजा को एक शपथ-लेनी पड़ती थी। आजकल भी राज्याभिषेक के समय-

2. राजा ~~यह~~ शपथ लेता है कि वह कानून के अनुसार-राज्य चलाएगा एवं प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील-रहेगा। उसी प्रकार प्राचीन भारतीय अभिषेक की भी शपथ थी, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। किन्तु मत-उचित नहीं जान पड़ता है। राजा जो शपथ लेता था उसमें वह केवल पुरोहित से द्रोह न करने की प्रतिज्ञा-करता था। क्योंकि अभिषेक के फलस्वरूप उसे दैवी शक्ति प्राप्त होने वाली थी। प्रजा को न ~~बतलाने~~ सताने की उसमें बात न थी। न पुरोहित को प्रजा का प्रतिनिधि कहा गया है। महाभारत में राजा को राज्याभिषेक के समय नीतिशास्त्र विहित सदाचरण करने की शपथ लेने का विधान है। यदि ऐसा न करे तो क्या किया जाय? इस सन्दर्भ में विवरण नहीं मिलता है।

शुक्रादि कुछ ग्रंथकारों ने युवराजाभिषेक का भी उल्लेख किया गया है। गुप्त-साम्राज्य में यह-प्रथा प्रचलित थी, ऐसा समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति से ज्ञात होता है। जब राष्ट्रकूट वंश का तृतीय गोविंद युवराज चुना गया तब उसका भी-युवराजाभिषेक हुआ। कलचुरी राजा कर्ण ने स्वयं अपने पुत्र का युवराजाभिषेक किया था। वेंगी के चालुक्यवंश में द्वितीय भीम एवं तृतीय विजयादित्य-का युवराजाभिषेक हुआ था। उस समय उनको एक कंठिका अभिषेक-चिह्न के स्वरूप में दी गयी थी।

राज्याभिषेक के पश्चात् रत्नाधिष्ठित-राजा का जुलूस निकलता था। जुलूस के बाद-दरबार होता था जिसमें सर्व-वर्गों के महाजन आकर राजा को अभिवादन करके राजनिष्ठा की ~~वह~~ शपथ-लेते थे। तदनन्तर शतरंज का खेल या रथों की होड़ होती थी। रथ दौड़ में ऐसी व्यवस्था होती थी कि राजा ही सबसे आगे आये।

पौराणिक काल में राज्याभिषेक में काफी हेर-फेर हो गया। वाजपेय-यज्ञ, रथ-दौड़ एवं रत्नि-हवि लुप्त हो गए। राजा का शरीर अनेक प्रकार की पवित्र मृत्तिका से मर्दित करने-की प्रथा प्रचलित हुई और नदियों, समुद्र आदि के जल से अभिषेक होने लगा। विधानशास्त्र दृष्टि से-

3. महत्व की बात यह कि पुरोहित या राजा का द्रोह न करने की शपथ लुप्त हो गयी। राजा की सत्ता एवं अधिकार इतने बढ़ गए थे कि उसका शपथ लेना लोगों को विचित्र मालूम पड़ने लगा।

पौराणिक धर्म इस समय तक लोकप्रिय हो चुका था इसलिए पुराणों में विहित अनेक दान राज्याभिषेक के समय दिये जाते थे। राष्ट्रकूटवंशीय इन्द्र राजा ने अभिषेक के समय अनेक महादान दिए एवं सोना, चांदी, मोती इत्यादि से अपने को तौल कर दान करते थे। इस प्रकार के दान आठवीं-नवीं के पश्चात् बराबर दिए जाते रहे।